न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा आर.ए.एस

मुकदमा नं0 26/2010

उनवान

गजेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी

प्रार्थी/सायल

बनाम

1. योगेश कुमार
2. देवेन्द्र कुमार पुत्रान सुरेश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी नदबई तह0 नदबई
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी

अप्रार्थीगण/गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितः-

1. श्री शीशराम वर्मा एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री सतीश चन्द शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 11.02.2017

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि ाजी खसरा नम्बर 338/0.68, 339/0.08, 340/0.79, 347/0.02 बाके ग्राम हैवतका तहसील पहाडी रेवृ है। यह है कि गैरसायलान की माता माया देवी सायल की खास बुआ थी जिसकी शादी सायल दबा ब्रहमानन्द ने गैरसायल के पिता सुरेश चन्द के साथ की थी। शादी के बाद माया देवी अपनी ुराल में रहकर जीवन यापन कर रही थी। सन 1975 में सायल की बुआ व माता गैरसायलान माया देवी ानसिक सन्तुलन बिगड जाने के कारण पागलपन की स्थिति में आ गयी थी। जिसके कारण ायलान व उनके पिता ने माया देवी को घर से बाहर निकाल दिया था और माया देवी गैरसायल व ने पति सुरेशचन्द से सारे रिश्ते नाते पारिवारिक संबंधों को छोडकर अपने पिता के पास आकर रहने ाई। तथा जिसका सारा इलाज दवाई रोटी कपडा की व्यवस्था सायल व उसका पिता जगदीश एवं ा करते रहे थे। उस वक्त सायल नाबालिग था। मायादेवी सन 1977 में पूर्ण रूप से स्वस्थ चित्त ाक हो गयी थी उसके पश्चात भी गैरसायलान व उसके पिता ने अपने पास नहीं रखा तो सायल क ा ब्रहमानन्द ने अपनी पुत्री मायादेवी के जीवनयापन के लिये आराजी मुतदाविया को दयालचन्द पुत्र राज जाति राजपूत निवासी हैवतका तहसील पहाडी से दिनांक 06.06.1978 को जरिये रजिस्टर्ड ामा खरीद कर अपनी पुत्री मायादेवी के नाम बयनामा तस्दीक करा दिया और कब्जा प्राप्त कर लिया। ादेवी के नदबई से वापिस गोपालगढ आ गई और सायल और उसके पिता जगदीश के पिता जगदीश ाथ रहने लग गई थी। उसकी देखभाल सेवा सायल व उसके पिता करते थे। सायल का पिता ारी नौकरी करता था। इसलिये मायादेवी के साथ सायल काश्त करता था। मायादेवी की सेवा करता जिससे प्रसन्न होकर आराजी मुतदाविया को माह अप्रेल सन 1983 को सायल को हमेशा हमेशा के लिये त करने को बता दिया था और तभी से सायल आराजी मुतदाविया पर बाहैसियत खातेदार काश्तकार बिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और मौके पर इस वक्त भी सायल का कब्जा है। सन 1985 ग्राम गोपालगढ में मायादेवी का देहान्त हुआ था जिसका सारा क्रियाकर्म ब्राहम्ण भोज वगैराह सायल ा ग्राम गोपालगढ मे सम्पन्न की थी। सायल आराजी मुतदाविया के संबंध में देरीना कब्जे के आधार पर ातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा आराजी मुतदाविया पर सायल को ातेदार काश्तकार दर्ज करने के बजाय पहले श्रीमती मायादेवी व उसके गुजर जाने के बाद गैरसायलान

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर) राज0

Scanned with OKEN Scanner

हमने विद्वान वकील फरीकेन की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। गैरसायलान आराजी मुतदाविया के रिकार्डेड खातेदार हैं। विवादित आराजी गैरसायलान की माता मायादेवी पत्नि श्री सुरेशचन्द द्वारा कय की गई है जिसका विकय पत्र विधिवत पंजीबद्व है। विकय पत्र में पिता द्वारा पुत्री के नाम रजिस्ट्री करवाने तथा पिता या परिवार की धनराशि से पुत्री के नाम भूमि विक्रय का उल्लेख नहीं है। विकय पत्र के अवलोकन से गैरसायलान की माता सदभावी केता प्रतीत होती है। अतः प्रथमदृष्टया प्रार्थना पत्र सायल के पक्ष में नहीं जाने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावा के साथ संलग्न हो।

(रवि वर्मा) 11.2.17
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

गलत खिलाफ कानून मौका कब्जा दर्ज किया जा रहा है। आराजी मुतदाविया के संबंध में गैरसायलान नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो रहा है उसे कलमजन कराकर अपने आप को राजस्व रिकार्ड में तेदार काश्तकार दर्ज करा पाने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 पेश कर वेदन है कि गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादित आराजी को रहनवय मुन्तकिल न करें एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया जाये। गैरसायलान जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये।

जबाब पेश किया कि मायादेवी सायल की बुआ व गैरसायलान की माता थी।किन्तु मायादेवी का मानसिक संतुलन बिगड जाने के कारण उसको घर से निकाल देना कतई गलत है जबकि मायादेवी की शादी सुरेशचन्द के साथ हुई और शादी के बाद आराजी मुतदाविया प्रतिवादीगण की माता ने स्वयं खरीद की थी आराजी मुतदाविया मायादेवी की स्वःअर्जित जगीन है। मायादेवी अपने जीवनकाल में उक्त आराजी को बाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करती रही थी तथा उसके मरने के बाद उसके वारिसान गैरसायलान व हैसियत वारिसान बाहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। मायादेवी का न तो कभी मानसिक संतुलन बिगडा न ही वह पागलपन की स्थिति में आने के कारण अपने पिता ब्रहमानन्द के पास रही थी। मायादेवी शादी के बाद से मृत्यु तक अपनी ससुराल नदबई मे अपने पति व बच्चों के साथ रही है और उसकी मृत्यु अपनी ससुराल नदबई मे हुई थी। मायादेवी आराजी मुतदाविया की देखभाल करने अपने पीहर गोपालगढ आती जाती रहती थी। आराजी मुतदाविया पर गैरसायलान का बाहिस्सा बराबर कब्जा व काश्त है। आराजी मुतदाविया से सायल का कभी भी कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं रहा है। गैरसायलान विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं और आराजी पर काबिज हैं। तात्विक कानून एक खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है और न ही उसे पाबन्द किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 338/0.68, 339/0.08, 340/0.79, 347/0.02 बाके ग्राम हैवतका तहसील पहाडी में स्थित है जो गैरसायलान की माता मायादेवी के जीवनयापन हेतु सायल के बाबा ब्रहमानन्द ने दयालचन्द पुत्र लेखराज जाति राजपूत निवासी हैवतका तहसील पहाडी से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा अपनी पुत्री मायादेवी के नाम तस्दीक करा दिया और कब्जा प्राप्त कर लिया। मायादेवी नदबई मे सुरेश चन्द कों व्याही थी जो मानसिक संतुलन बिगड जाने के कारण पागलपन की स्थिति में आ गई और अपनी ससुराल नदबईको छोडकर अपने पीहर गोपालगढ में रहने लगी। तथा जिसका सारा इलाज दवाई रोटी कपडा की व्यवस्था सायल व उसका पिता जगदीश एवं बाबा ब्रहमानन्द करते रहे थे। सायल उस समय नाबालिग बच्चा था। मायादेवी पूर्ण रूप से अस्वस्थचित्त मस्तिष्क हो गयी थी। उसके पश्चात भी मायादेवी को गैरसायलान व उसके पिता सुरेश चन्द ने अपने पास नहीं रखा। और मायादेवी सायल के पास रहती थी और सायल ही उसकी सेवा और देखभाल आदि करता था। मायादेवी ने आराजी मुतदाविया को माह अप्रेल सन 1983 को सायल को हमेशा हमेशा के लिए काश्त करने को बता दिया। तभी से सायल उक्त आराजी पर बाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त कर रहा है और आज भी मौके पर सायल का कब्जा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में मायादेवी के गुजर जाने के बाद गैरसायलान ने अपने नाम आराजी को दर्ज करा लिया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 338/0.68, 339/0.08, 340/0.79, 347/0.02 बाके ग्राम हैवतका तहसील पहाडी को किसी दीगर व्यक्तियों को रहनवय मुन्तकिल न करें एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। वकील गैरसायलान ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी मुतदाविया को मायादेवी ने स्वयं अपने पैसे से खरीदी थी। आराजी मायादेवी की स्वय अर्जित भूमि है। वयनामा के बाद से मायादेवी का ही कब्जा था और मायादेवी की मृत्यु के बाद से आराजी पर गैरसायलान का कब्जा व काश्त है। मायादेवी की मृत्यु के समय सायल गजेन्द्र कुमार की आयु करीब 5 वर्ष थी तो वह काश्त कैसे करता था। समर्थन में आरआरडी 1991 पेज 388, आरआरटी पेज 1327 ,आरआरटी पेज 79 पेश की। भूराजस्व अधिनियम की धारा 140 के अनुसार यह अभिधारणा होती है कि खातेदार का ही कब्जा होगा। खातेदार के विरूद्व न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता न ही उसे किसी प्रकार से पाबन्द किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर) राज०

Scanned with OKEN Scanner